राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

CPA के माननीय चेयरमैन श्री इयान लिडेल ग्रैन्जर जी,

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत जी;

राज्य सभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी,

राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ सी.पी. जोशी जी;

राजस्थान विधान सभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री राजेंद्र राठौड़ जी;

माननीय पीठासीन अधिकारीगण;

CPA के महासचिव श्री स्टीफेन ट्वीग जी

लोक सभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी

एवं राज्य विधान मंडलों के सचिव

विशिष्ट प्रतिनिधिगण ; देवियो और सज्जनो;

उद्घाटन में आप सभी के बीच आकर प्रसन्नता हुई.

आज सीपीए भारत क्षेत्र के नौवें सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यहाँ आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वीरता, शौर्य, अध्यात्म और भक्ति की भूमि है राजस्थान।

मैं वीरता, शौर्य, अध्यात्म और भक्ति की भूमि राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आये पीठासीन अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूँ।

इस अवसर पर मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, डॉ. सी.पी. जोशी जी को इस सम्मेलन के आयोजन के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से वर्ष 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन हुआ था।

वर्ष 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन किया गया था। उसी समय से CPA विश्व में संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर काम कर रहा है। इसने हमेशा सुशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया है।

सीपीए राष्ट्रमंडल देशों और उनके नागरिकों के बीच सर्वोत्तम संसदीय प्रथाओं को साझा करने, आपसी सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत विश्व का प्राचीनतम और विशालतम लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है, संस्कारों और विचारों में है। आजादी के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और इसके माध्यम से जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है।

आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब समय आ गया है कि हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएं लोगों के प्रति और जवाबदेह बने ताकि हम लोगों के अन्दर लोकतंत्र के प्रति और अधिक विश्वास बना सकें।

आज भारत में विश्व की सबसे बड़ी डेमोग्राफी है, डाइवर्सिटी है और डेमोक्रेसी है। यह हमारी सबसे बड़ी विशेषता भी है और शक्ति भी। इसलिए

हमारी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं की अच्छी परंपराओं, परिपाटियों और प्रथाओं को क़ायम रखें और इन संस्थाओं के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकें।

बदलते परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों का जनसंवाद और जन भागीदारी के लिए उपयोग किया जाना है।

जनप्रतिनिधि उन्हें टेक्नॉलजी और निरंतर संवाद के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं।

बदलते परिप्रेक्ष्य में संचार माध्यमों के उपयोग से, डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम अपने माननीय सदस्यों का कैपेसिटी बिल्डिंग तो करें ही, अब विधान मंडलों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग कराएँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्नोलॉजी का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले।

हमारे विधान मंडलों के सदस्यगण 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हमारे विधान मंडल, चाहे वह संसद हो या विधान सभाएँ हों, वे 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में, हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम संसद और विधान मंडलों जैसी संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखें।

विधान मंडलों की कार्यवाही में जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए।

हमारे सदनों में नीतियों और कार्यक्रमों पर जो चर्चा और संवाद होता है, जो कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों के अंदर जो रुल्स बनाए जाते हैं, उन सबका प्रत्यक्ष प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानून बनने के पहले भी और कानून के बनने के बाद भी, जब रुल्स बनते हैं, तो उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो।

इसलिए आधुनिक टेक्नॉलजी का उपयोग करते हुए हमें ऐसा एक प्रभावी सिस्टम बनाना होगा, जिसके अंदर जनता जनप्रतिनिधियों को या लोकतान्त्रिक संस्थाओं को रुल्स के बारे में या कानूनों में यदि कोई विसंगतियाँ हो, तो उसके बारे में भी अपना सुझाव दे सके, फीडबैक दे सके।

इसीलिए लोकतान्त्रिक संस्थाओं को अपनी गतिविधियों में समाज के प्रबुद्ध वर्गों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व और ऐंगेज करना होगा, ताकि हमारे सदनों में सारगर्भित चर्चा हो, हमारे सदनों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों से प्रभावित होने वाले वर्गों की विधि निर्माण में सक्रिय भागीदारी हो, ताकि अच्छे कानून बनें।

हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि विधान मंडल लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए काम करे। हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने और हमारी संसदीय परंपराओं को समृद्ध करने की जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधियों की ही है।

बदलते परिप्रेक्ष्य में आज नागरिकों की जनप्रतिनिधियों से आशाओं और आकांक्षाओं में बड़ी वृद्धि हुई है।

जनता की हमसे आशा रहती है कि हम सदनों में उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों के लिए सार्थक विचार विमर्श करेंगे, जन कल्याणकारी नीति

निर्माण में कार्यपालिका का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन यह तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधि सदन और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन और शालीनता के उच्च मानकों के अनुसार आचरण करें, कार्य करें।

हमारे सदन सार्थक विचार विमर्श, चर्चा संवाद के केंद्र बनें।

हमारे सदन सार्थक विचार विमर्श, चर्चा संवाद के केंद्र बनें, हमारे सदनों में जनता के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च गुणवत्ता के संवाद हों, विधेयकों पर हम शालीनता से अपनी बात रखें, पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद के बावजूद हम मर्यादा एवं गरिमा बनाए रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और हमारे सदनों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान निकले, इसी में हमारे सदनों की सार्थकता है।

पीठासीन अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे अपने पद की गरिमा के अनुरूप सदन को निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से चलायें।

अपनी सदनों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि हम अपने सदनों की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए काम करें। मैं अपने साथी पीठासीन अधिकारियों से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हम जब आसन पर पद स्थापित होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं।

सदनों के अंदर सुनियोजित व्यवधान और गतिरोध की बढती प्रवृत्ति और उनको समाप्त करने की आवश्यकता है।

सदनों के अंदर सुनियोजित व्यवधान और गतिरोध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह भी एक सच्चाई है और यह हमारे सामूहिक चिंता का विषय है।

ऐसे में मेरा विचार है कि अब समय आ गया है, जब हमारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सदनों के अंदर हमारे व्यवहार और आचरण का आकलन करें।

जब जनता जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार को अपने मत का आधार बनाएगी, तो हमारी लोकतान्त्रिक संस्थायें भी अधिक जिम्मेदार बनेंगी और हमारे सदनों की उत्पादकता बढ़ेगी।

हमें गंभीरता से विचार-मंथन करना होगा कि मतदाताओं के सपनों और उम्मीदों को हम जनप्रतिनिधिगण किस प्रकार पूरा करें, उनका मान रखें। जब हमारी लोकतान्त्रिक संस्थाएं रचनात्मक चर्चा संवाद का केंद्र बनेंगी, तो आम आदमी का कल्याण भी स्वत: सुनिश्चित होगा।

गणमान्य प्रतिनिधिगण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्मेलन के दौरान होने वाले सार्थक विचार-विमर्श और उच्च कोटि के चर्चा संवाद से अनेक नए विचार सामने आएंगे, जिनसे नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सुशासन का मार्ग प्रशस्त होगा।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस संस्था को अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से CPA भारत क्षेत्र के संविधान में व्यापक संशोधन किए गए हैं, ताकि इस महत्वपूर्ण संस्था की गतिविधियां और प्रभावी हों।

इसके अंतर्गत जोन्स की संख्या को 4 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है तथा वित्तीय प्रावधानों में भी बदलाव किया गए हैं ताकि इस संस्था की गतिविधियों में वृद्धि हो सके तथा राज्य विधान मण्डल इसमें और अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकें।

इस संस्था के लिए लोक सभा सचिवालय में एक स्थायी सेल को भी गठित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सीपीए को एक स्थायी सचिवालय सहायता मिल सके। मुझे आशा है कि इन बदलावों का सकारात्मक प्रभाव होगा।

अंत में, आप सब इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पधारे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि सीपीए भारत क्षेत्र के अतंर्गत होने वाले विभिन्न सम्मेलनों से हमें अपने लोगों और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सम्मेलन की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।